

भारतीय मानक ब्यूरो

(स्थापना विभाग)

परिपत्र

विषय : सी.एस.एम.ए. नियमों के अंतर्गत अधिकृत चिकित्सा परिचर (ए.एम.ए.) की नियुक्ति - दूसरे ए.एम.ए. की नियुक्ति हेतु विकल्प

कार्यालय आदेश संख्या बीआईएस/डीजीओ (445)/2016 दिनांक 13 जून 2016 द्वारा सीएमएसए नियमों के अंतर्गत अधिकृत चिकित्सा परिचर (ए.एम.ए.) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार, ए.एम.ए. की नियुक्ति सीजीईडबल्यूसीसी के पैनल से अथवा जहां सीजीईडबल्यूसीसी कार्यरत नहीं है, वहाँ किसी भी निजी आर.एम.पी. को एएमए नियुक्त करने हेतु प्रावधान बनाए गए थे।

2. अब, कार्यालय आदेश दिनांक 13 जून 2016 के क्रम में, निम्नलिखित को सभी संबन्धित की जानकारी में लाया जाता है :

- i) सीएसएमए नियमों के अंतर्गत आने वाले सभी बीआईएस कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर, महिलाओं व बच्चों से संबन्धित बीमारियों के संबंध में दूसरा अधिकृत चिकित्सा परिचर (ए.एम.ए.) भी नियुक्ति हेतु चुन सकते हैं; तथा
- ii) सभी शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं के विभागाध्यक्ष, जिन्हें एएमए नियुक्ति हेतु शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, वे उनके द्वारा नियुक्त किए गए एएमए की समेकित सूची संबन्धित उपमहानिदेशक/उपमहानिदेशक(प्रयो.) को भेजेंगे, जो कि [उपमहानिदेशक/उपमहानिदेशक(प्रयो.)] एएमए की समेकित सूची स्थापना विभाग को भेजेंगे। यदि एएमए में कोई परिवर्तन होता है तो वह भी एएमए की सूची में अद्यतन हेतु स्थापना विभाग को सूचित करना होगा।

3. बीआईएस-महानिदेशक के अनुमोदन से जारी।

हस्ता/-

(एन रवि शंकर)

निदेशक (स्थापना)

हमारा संदर्भ : स्था-I/29:2/2/2015

दिनांक : 10 अक्टूबर 2016

परिचालित : बीआईएस इंटरनेट और बीआईएस वैबसाइट द्वारा सभी संबन्धित बीआईएस अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशनरों /परिवार पेंशनरों की सूचना हेतु।

नोट: परिपत्र में जहां भी हिन्दी भाषा के माध्यम से किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होगा वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का परिपत्र मान्य होगा।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Establishment Department)

CIRCULAR

Subject: **Appointment of Authorized Medical Attendants (AMAs) under CSMA Rules – option for appointment of second AMA**

Guidelines for appointing Authorized Medical Attendants (AMAs) under CSMA Rules were issued vide Office Order No. BIS/DGO (445)/2016 dated 13 June 2016. As per said Office Order, provisions were set out to appoint AMAs from the panel of CGEWCC or any private RMP wherever CGEWCC is not functioning.

2. Now, in continuation of the Office Order dated 13 June 2016, the following is brought to the notice of all the concerned:

- i) All the BIS employees / Pensioners / Family Pensioners covered under CSMA Rules, may opt for appointment of second Authorized Medical Attendant also in respect of diseases pertaining to women and children; &
- ii) All the HODs of B+Os/Labs who have been delegated with powers to appoint the AMAs, shall send the consolidated list of AMAs appointed by them to the concerned DDGRs / DDG (Labs) who in turn will send a consolidated list of AMAs to Establishment Deptt. If there is any change in the AMA, the same shall be reported to Establishment Department for updation of the list of AMAs.

3. This issues with the approval of DG-BIS.

Sd/-
(N. Ravi Shankar)
Director (Establishment)

Our Ref: Estt. I/29:2/2/2015

Dated : 10 October 2016

Circulated: For information of all the concerned BIS Officers / Employees / Pensioners/Family Pensioners through BIS Intranet and BIS Website.
